भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1131

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशुल्क त्वचा स्वास्थ्य शिविर

†1131. श्री के. गोपीनाथः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट संघ (आईएडीवीएल) ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर त्वचा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं और इनमें बड़ी संख्या में निःशुल्क त्वचा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्र, जहां संपर्क की समस्या होती है, में और अधिक शिविर लगाने का है तथा पूरे देश में त्वचा रोग देखभाल में सुधार के लिए ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा त्वचा रोग जो अक्सर लोगों द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं, की देखभाल के संबंध में आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय त्वचा रोग विशेषज्ञ, रतिजरोग विशेषज्ञ एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन (आईएडीवीएल) द्वारा आयोजित शिविरों का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत शामिल किया गया है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एनएचएम के अंतर्गत इस कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकता, प्राथमिकता और अपनी समावेशन क्षमता के आधार पर

निधियों का उपयोग करना आवश्यक है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर कुष्ठ रोग से संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप पूर्ण किए गए हैं:

i. **कुष्ठ रोग मामलों का पता लगाने का अभियान (एलसीडीसी):** उच्च जोखिम वाले और दुर्गम क्षेत्रों में घर-घर जाकर मामलों का पता लगाना।

ii. **केंद्रित कुष्ठ रोग अभियान (एफएलसी):** श्रेणी 2 दिव्यांग्ता (जी2डी) के मामलों का सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए एफएलसी का संचालन किया जाता है।

iii. कम स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों और दूरस्थ ब्लॉकों में आशाकर्मियों द्वारा निगरानी करना ।

iv. **दुर्गम क्षेत्र -** विशेष आउटरीच योजनाएँ: दुर्गम इलाकों में समुदाय के नेतृत्व में मामलों की खोज करना ।

एनएलईपी के अंतर्गत, कुष्ठ रोग से जुड़े स्टिग्मा और भेदभाव को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं:

क. **आईईसी/बीसीसी कार्यकलाप:** स्थानीय भाषाओं में रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों, नुक्कड़ नाटकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता फैलाना।

ख. **राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान (एसएलएसी):** स्टिग्मा को कम करने और शीघ्र पहचान को बढ़ावा देने के लिए कुष्ठ रोग प्रतिरोधक दिवस के आसपास वार्षिक अभियान चलाना।

ग. **आशाकर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ता:** समुदाय में संदिग्ध कुष्ठ रोग संबंधी त्वचा के घावों की पहचान करने और उन्हें रेफर करने के लिए प्रशिक्षित करना।

घ. **स्वास्थ्य केंद्र** इस रोग के संपर्क में आए व्यक्तियों में कुष्ठ रोग के मामलों की पहचान और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवश्यक त्वचा संबंधी देखभाल के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं।
